

राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष  
 स्थान का नाम शाहपुरा बैंच संख्या -02  
 (विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987(केन्द्रीय अधिनियम)की धारा 19 के अधीन)  
 (तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा द्वारा आयोजित)

याची/वादी/परिवादी शेखन सिंह कालमजारी कोस सिंह जैन निवासी - पायल  
डोली बजार, तखीरबाड तहसील तखीरबाड जिला कुम्हर  
हाल निवासी - प्लॉट ए-105 पी.डी. डि.टी. जिलवानी रोड कोशी  
 प्रतिवादी/प्रत्यर्थी हैल्थी टॉल के वापस (प्लॉट ए-105 पायल गा. शाहपुरा) - 396230  
राज्य (कानून राज्य) के तहसीलदार शाहपुरा (भीलवाडा)

प्रकरण संख्या वाड पत्र 11/2019

उपरिस्थिति :-

- न्यायिक अधिकारी का नाम : 1. श्री राजेश कुमार मीणा (ए.सी.जे.एम. शाहपुरा)  
 सदस्य का नाम : 2. श्री नारायण लाल जीनगर (तहसीलदार शाहपुरा)

दिनांक 12-03-2022

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों के मामले /विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

वाकें ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा में स्थित कार्पनी गंवर  
2272, 2273 किला-2 रकबा 2.56 हे. में दूर वाडी का लाल  
शेखन सिंह पिता मोहन सिंह के लालमजारी शेखन सिंह पिता कोस  
सिंह के लाल करने के कंडेरा दिने जाते हैं परन्तु कंडेरा के  
संज्ञत है

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय शुल्क यदि कोई उनमें से किसी द्वारा सदत्त की गई है तो यह वापस को जाएगी।

अधीक्षक  
 प्राथी पक्ष

तहसीलदार  
 शाहपुरा (भीलवाडा) राज.

अधीक्षक  
 राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच - द्वितीय  
 (तालुका विधिक सेवा समिति)  
 शाहपुरा (भीलवाडा) राज.

सदस्य  
 राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच - द्वितीय  
 (तालुका विधिक सेवा समिति)  
 शाहपुरा (भीलवाडा) राज.